"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 509]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 — आश्विन 23, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 30-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 22 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायें, अर्थात्:-

(क) "छः अशासकीय सदस्य, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों, जिनमें से एक अध्यक्ष

(चेयरपर्सन) होगा और एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन), उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) सहित कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।"

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:- **धारा 4 का संशोधन.**

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।"

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 15-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 22 of 2020)

THE CHHATTISGARH RAJYA ANUSUCHIT JANJATI AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. For clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam (No. 24 of 1995), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:-

"(a) Six non official members who have special knowledge in the matters relating to Scheduled Tribes of whom one shall be the Chairperson and one

shall be the Vice Chairperson to be appointed by the State Government:

Provided that at least four members including the Chairperson and Vice Chairperson, shall be from amongst the Scheduled Tribes."

Amendment of Section 4.

3. For sub-section (1) of Section 4 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(1) The Chairperson, Vice Chairperson and every member shall hold office, from the date on which he assumes the office, during the pleasure of the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.